OFFICE OF THE PRINCIPAL,
JAWAHARLAL NEHRU MEDICAL COLLEGE,
Sukhraj Rai Path, Naulakkha Kothi, Bhagalpur-812001 (BIHAR)
(An Institution of Govt. of Bihar)
(Recognised by Medical Council of India, New Delhi)
Established in 1970

Mob. No. : +91 9470003142
Phone No. : 0641-2401078
Write us : principal.jlnmc@rediffmail.com
Visit us : www.jlnmcbgp.org

Letter No. 1784/ Bhagalpur, Date 30/08/2017

पुर्न निविदा सूचना

जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर के मेडिकल बुक्स एवं जर्नल्स के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्राप्त आवंटन से क्रय किया जाना है। संबंधित आपूर्त्तिकर्त्ताओं/अधिकृत विक्रेताओं/प्रकाशकों से मेडिकल बुक्स एवं जर्नल्स हेतु अलग–अलग पुर्न निविदा प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर मुहरबंद लिफाफे में निबंधित/स्पीड पोस्ट के द्वारा आमंत्रित किया जाता है। पुर्न निविदा दो प्रकार की होगी – (क) तकनीकी निविदा (ख) वित्तीय निविदा जो अलग–अलग कम्प्यूटराईज्ड तथा मुहरबंद लिफाफे में होना अनिवार्य होगी। पुर्न निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को अवकाश रहने की स्थिति में अगला कार्य दिवस अंतिम दिवस होगा। तकनीकी निविदा के मेडिकल बुक्स हेतु मो0–25000/– (पच्चीस हजार) रु0 का बैंक ड्राफ्ट/एन0एस0सी0 जो प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर के पदनाम से देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है। मेडिकल बुक्स एवं जर्नल्स की सूची तथा पुर्न निविदा के नियम एवं शर्त्तों की प्राप्ति हेतु 1000/– (एक हजार) रु0 की दर से बैंक ड्राफ्ट (नन रिफन्डेबुल) प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर के पदनाम से देय होगा। आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से कार्य दिवस के दौरान प्राप्त किया जा सकता है अथवा वेवसाईट www.jlnmcbgp.org से डाउनलोड कर सकते है, जिसके लिये 1000 रू0 का डी0डी0 पुर्न निविदा के साथ भेजना अनिवार्य होगा। तकनीकी एवं वित्तीय निविदा खोलने की सूचना महाविद्यालय के सूचना पट्ट एवं वेबसाईट पर दे दी जायेगी। पुर्न निविदा दाताओं को पुर्न निविदा के साथ निम्नलिखित विवरण संलग्न करना अनिवार्य होगा –

01. पुर्न निविदा के साथ अद्यतन आयकर, विक्री कर, निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
02. आपूर्त्तिकर्त्ता को क्रयादेश निर्गत की तिथि से 45 दिनों के अंदर मेडिकल बुक्स एवं जर्नल्स इत्यादि की आपूर्त्ति कर दूँगा अन्यथा दूसरे आपूर्त्तिकर्त्ता को आपूर्त्ति आदेश निर्गत किए जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
03. वित्तीय निविदा में मेडिकल बुक्स एवं जर्नल्स का दर एम0आर0पी0 से अधिक नहीं होना चाहिए तत्संबंधी प्रमाण पत्र वित्तीय निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा अस्वीकृत मानी जायेगी।
04. मेडिकल बुक्स एवं जर्नल्स की आपूर्त्तिकर्त्ता को जी0ओ0सी0 का सदस्य होना अनिवार्य है।
05. किसी भी तरह का न्याय संबंधी कार्य का निष्पादन भागलपुर न्यायालय में ही होगी।
06. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये क्रय समिति/अधोहस्ताक्षरी द्वारा किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।

30/8/17

प्राचार्य,
जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय,
भागलपुर।
30/08/2017

प्राचार्य कार्यालय,
जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर

पुर्न निविदा की नियम एवं शर्त्ते

1. पूर्व निविदा के साथ अग्रधन की राशि मेडिकल बुक्स एवं जर्नलस् हेतु 25000/– (पच्चीस हजार मात्र) रूपये का किसी राष्ट्रीकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट अथवा एन0एस0सी0 जो कार्यालय, प्राचार्य, ज0 ला0 ने0 चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर के पदनाम से संलग्न करना होगा। जो निविदा दाता पूर्व में प्रकाशित तकनिकी निविदा के साथ अग्रधन की राशि हेतु बैंक ड्राफ्ट संलग्न किये हैं उन्हें पुर्न निविदा के साथ संलग्न नहीं करना है। दर अनुमोदित होने पर अग्रधन राशि वित्तीय वर्ष के पश्चात् वापस किया जायेगा।
2. पुर्न निविदा दो प्रतियों में तकनीकि एवं वित्तीय पुर्न निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे पर क्रमशः तकनीकि एवं वित्तीय निविदा लिखा होना आवश्यक होगा। पुर्न निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. सभी पुर्न निविदा कम्प्यूटर टंकित प्रति की हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी देना अनिवार्य होगा। सामानों की दर में किसी प्रकार का ओभर राईटिंग या संशोधन नहीं होना चाहिए। हस्तलिखित निविदा अस्वीकृत माना जायेगा।
   (नोट – निविदा कम्प्यूटरीकृत कर Excel Formate में ही देना अनिवार्य होगा।)
4. तकनीकि निविदा के साथ बुक एवं जनर्ल्स का प्राईस लिस्ट प्रतिष्ठान का निबंधन प्रमाण पत्र, जी0ओ0सी0 का सदस्य होने से संबंधित प्रमाण पत्र, आयकर विभाग से प्राप्त पैन नं0 की छायाप्रति एवं अद्यतन क्लीयरेन्स प्रमाण–पत्र यथा बिक्री कर निबंधन (C-I) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. पुर्न वित्तीय निविदा में बिक्री कर एवं अन्य कर तथा सामाग्रियों का संस्थान तक पहुँचाने का भाड़ा सम्मिलित रहेगा। किसी प्रकार का अन्य कर अलग से देय नहीं होगा।
6. पुर्न वित्तीय निविदा में बुक एवं जन्लर्स में छूट का दर अंकित किया जाना अनिवार्य है।
7. सरकार के निदेशानुसार टैक्स की कटौती संवेदक के विपत्र से की जायेगी।
8. किसी समय पुर्न निविदा को बिना कारण बताये आंशिक रूप से स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी/ क्रय समिति को सुरक्षित होंगे।
9. निविदादाताओं को पुर्न निविदा की शर्त्तें एवं बुक एवं जन्लर्स की सूची प्राप्त करने हेतु **मो0 1000/– (एक हजार) रूपये (Non refundable) प्रति सूची के लिये बैंक ड्राफ्ट प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर के पदनाम से** आवेदन के साथ जमा कर कार्यालय से कार्यकाल के दौरान प्राप्त किया जा सकता है अथवा महाविद्यालय के वेबसाईट क से डाउनलोड किया जा सकता है, जिसके लिये 1000/– रू0 का तकनिकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
10. अपूर्त्तिकर्त्ता/ प्रकाशकों को क्रयादेश निर्गत तिथि से 45 दिनों के अन्दर बुक एवं जनर्ल्स की आपूर्त्ति करना अनिवार्य होगा अन्यथा दूसरे आपूर्त्तिकर्त्ता को आपूर्त्ति आदेश निर्गत कर दिया जायेगा।
11. पुर्न निविदा से संबंधित किसी प्रकार के विवाद का न्यायिक क्षेत्र भागलपुर होगा।
12. पुर्न निविदा स्वीकृत के उपरान्त ही राशि की उपलब्धता के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

28/8/17

प्राचार्य,
जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय,
भागलपुर

Aurmul 30/08/2